24.06.2021	पत्रावली आज दिनांक 24.06.21 को प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन प्रथम उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से आज कोई उपस्थित नही। पत्रावली माननीय सैशन न्यायाधीश सिरोही से दाण्डिक अपील संख्या 02/2005 में दिनांक 01.10.2005 को पारित निर्णय में इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि प्रार्थी पक्ष तथा फर्म दोनों को ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर संक्षिप्त साक्ष्य पूर्ण कर के सुनवाई की जाये ओर उसके पश्चात मामले के गुणावगुण पर निस्तारण किया जाये। अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगाने पर भी अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता व अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नही आये। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में पूर्व में अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में न तो उपस्थिति दी है न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। अतः साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर बंद किये जाते है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 23.11.04 को यथावत रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्त पेट्रोल 2730 लीटर की कीमत राशि 1,09,446/- अक्षरे एक लाख नौ हजार चार सौ छियालिस रुपये मात्र जरिये चालान नं. 337 दिनांक 4.11.04 द्वारा अमानत मद में जमा राशि को आय मद में जमा कराने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही अपने स्तर से राशि जमा करवाने की कार्यवाही 7 दिवस में पूर्ण कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कुलक्टर, सिरोही जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

389
22/06/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner